P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6 * ISSUE-6 * (Part-1) February- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला–जशपुर (छ0ग0)

साधना यादव
शोधार्थी,
शोध निर्देशिका एवं विभागाध्यक्ष,
राजनीति विज्ञान विभाग,
डॉ.सी.वी.रामन यूनिवर्सिटी,
कोटा बिलासपुर (छ.ग.), भारत

संध्या जायसवाल
शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
डॉ. सी.वी.रामन यूनिवर्सिटी,
कोटा बिलासपुर (छ.ग.), भारत

सारांश

महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास व कल्याण से संबंधित योजनाओं–कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित करने एवं गति प्रदान करने हेतु जिले में 17 समेकित बाल विकास सेवा परियोजना आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है।

सन् 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, ताकि महिलायें सशक्त बनकर अपने घर परिवार की समृद्धि में पुरूष के कदम से कदम मिलाकर चल सके। राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव तभी दिखाई देगा जब महिलायें अपने आपको एक सशक्त भूमिका में प्रस्तुत करेंगी। सशक्तिरण बाहर से थोपा नहीं जा सकता, वह तो स्वयं में उत्पन्न होना आवश्यक है तभी महिला का विकास सार्थक रूप से संभव है और इसके लिये महिला एवं बाल विभाग ने इस क्षेत्र में निरन्तर प्रयास किया हैं।

मुख्य शब्द : महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग का योगदान छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के सन्दर्भ में।

प्रस्तावना

मनु कहते हैं, "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा कला क्रिया"

अर्थात्

जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। पूजा का अर्थ है सम्मान से। तात्पर्य है कि जहां नारी का सम्मान होता है, वहां सुख एवं समृद्धि का वास होता जहां इनका सम्मान नहीं होता वहां प्रगति, उन्नति की सारी क्रियायें निष्फल हो जाती है।

महिलायें सृष्टि का अभूतपूर्व तोहफा एवं बहुमूल्य संसाधन है। महिला के बिना सृष्टि की कल्पना भी नगण्य है। महिला न हो तो सृष्टि व जागरूक बनाकर ही समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। सशक्त समाज से ही देश सशक्त बन सकता है। ऐसे अनेक उदा. है कि जहां–जहां भी स्त्रियों ने संघर्ष व सहकारी प्रयत्न से अपने आप को सबल बनाया है वहां समाज में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगा है।

महिलायें भारत की कुल आबादी का आधा हिस्सा है, संभवतः राष्ट्र के विकास के कार्य में महिलाओं की भूमिका और योगदान को पूरी तरह और सही परिप्रेक्ष्प में रखकर राष्ट्र निर्माण के कार्य को समझा जा सकता है समूची सभ्यता में व्यापक बदलाव के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में महिला सशक्तिकरण आन्दोलन 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक विकास कहा जाना चाहिये, भारत जैसे देश में जहां लोकतान्त्रिक तरीके से काम करने की आजादी है या यूँ कहे की एक सशक्त परम्परा है, जनमत जीवन्त है और आधी आबादी के कल्याण में रूचि लेने वाला एक बड़ा वर्ग विद्यमान है, महिला सशक्तिकरण की शुरूआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च 1975 की अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस से मानी जाती है, फिर महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 महिला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नैरोबी में की गई, भारत सरकार ने समाज में लिंग आधारित विभिन्नताओं को दूर करने के लिये एक महान नीति 'महिला कल्याण नीति 1953 में अपनाई, महिला सशक्तिकरण का राष्ट्रीय उद्देश्य महिलाओं की प्रगति और उनमें आत्मविश्वास का संचार करना है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रमों का महिलाओं के जीवन स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
2. महिला बाल विकास विभाग की नीतियों महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण में कितनी सहायक रही हैं, का विश्लेषण करना इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य हैं।

3. महिला बाल विकास की नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा आवश्यक सुझाव देना इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य हैं।
4. महिला बाल विकास महिलाओं के जागरूकता में किस हद तक सफल रहा का अध्ययन करना इस शोध प्रबंध को प्रमुख उद्देश्य हैं।
5. महिला बाल विकास विभाग की व्यावसायिक प्रशिक्षण व उनके रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना इस शोध प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य हैं।
6. महिला बाल विकास विभाग के मुख्यमंत्री कन्या विवाह, दत्तक पुत्री शिक्षा योजना, किशोरी शक्ति योजना, आयुष्मति योजना, शक्तिस्वरूप योजना, धनलक्ष्मी योजना, नारी निकेतन, स्वालंबन योजनाओं आदि का सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव का अध्ययन करना इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य हैं।
7. महिलाओं का उनके लिए बने कानून, अधिकारों के प्रति महिला बाल विकास विभाग जागरूकता पैदा करने में कहां तक सफल रहा है का अध्ययन करना इस शोध प्रबंध प्रमुख उद्देश्य हैं।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में मुख्यतः द्वितीयक समंको का प्रयोग किया जायेगा। द्वितीयक संमको के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन, जनगणना प्रकाशन, सांख्यिकीय प्रकाशनों, स्वास्थ्य गत संमको, रोजगार संमको, सांख्यिकीय पुस्तिकाओं के माध्यम से प्राप्त आकड़ो को द्वितीयक संमको के रूप में उपयोग कर उसके सारणीयन विश्लेषण के आधार पर प्रतिशत, विकास दर, प्रकृतिमान जैसे सांख्यिकीय विधियों का उपयोग कर तथ्यों का सार्थक प्रस्तुतीकरण के लिए ग्राफ, चार्ट व रेखाचित्रों का उपयोग कर निष्कर्षों को सार्थक दंग से प्रस्तुत कर विषय वस्तु की प्रस्तुति दी जाएगी।

परिकल्पना

1. महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का महिला सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव रहा हैं।
2. महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं से महिला की सामाजिक, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है और रोजगार के अवसर पैदा हुये हैं।

विभाग की प्रमुख योजनाएँ

समेकित बाल विकास सेवा योजना

6 माह से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती माताओं को समेकित कार्यक्रम के तहत पूरक पोषण आहार, आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों व गर्भवती शिशुवती माताओं को टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच परामर्श सेवाएं तथा पोषण स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है।

किशोरी शक्ति योजना

इस योजना के तहत् प्रति वर्ष प्रत्येक बाल विकास परियोजना क्षेत्र से 300 किशोरी बालिकाओं का चयन कर उन्हें स्वास्थ्य व व्यवसायकिय उपयोग से संबंधित प्रशिक्षण अवधि के दौरान इन बालिकाओं का विशेषज्ञों के माध्यम से नियमित स्वास्थ्य तथा हिमोग्लोबिन परीक्षण कर उचित चिकित्सा परामर्श दी जाती है।

छत्तीसगढ़ महिला कोष योजना

ग्राम तथा पारा–टोला में आवास करने वाली महिलाओं को समूह में संगठित करना, आवश्यकतानुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण देना, रोजगार उपलब्ध कराने ताकि रोजगार को बढ़ाने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण देकर आसान किश्तों में ऋण वापसी की सुविधा देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है।

1. A ग्रेड के महिला स्व सहायता समूह को 3 प्रतिशत ब्याज पर ऋण योजना।
2. प्रथम बार 5000/– 24 किश्तों में वापसी, सफलतापूर्वक वापसी पर दूसरी बार 200000/–तक की राशि स्वीकृत।
   36समान किश्तों में वापसी।
3. किश्तों की वसूली 3 माह पश्चात् चौथे माह से वसूली किया जाता है।
4. आवेदन पर्यवेक्षक के माध्यम से परियोजना कार्यालय में जमा अनुशंसा सहित जिला प्रबंधक हो प्रस्तुत कर जिला प्रबंधक द्वारा कलेक्टर से अनुमोदित पश्चात् ऋण स्वीकृत किया जाता है।

सक्षम योजना

छ.ग. की मूल निवी, 18 से 45 आयु वर्ष की विधवा, कानूनी रूप से तलाक शुदा एवं अविवाहित तथा ऐसे महिलाएं न हो तो 18 से 45 वर्ष की कोई भी जरूतमंद महिलाओं को लाभ।

1. बी.पी.एल परिवार की न होने पर परिवार की वार्षिक आय 70 हजार से कम हो।
2. पति के मृत्यु उपरान्त पुर्नविवाह करने वाली महिला अपात्र होगी।
3. 1 लाख रू. तक 20,000रू. के गुणांक पर।
4. ऋण वापसी 60 समान किश्तों पर 66 माह के भीतर।
5. प्रथम छः माह में कोई किश्त एवं ब्याज देय नहीं होगा।
6. ब्याज 6.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से।

मुख्यमंत्री बाल संदर्भ

1. 0–5 वर्ष के बच्चों में कुपोषण की दर में कमी लाने गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एंव दवाईयाँ उपलब्ध कराना।
2. प्रति हितग्राही एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 300/– निजी शिशु रोग विशेषज्ञ हेतु 1500.00/– प्रति शिविर यात्रा देयक सहित मानदेय का प्रावधान।
3. जिले में इस योजना के तहत् स्वस्थ्य लइका जागरूक महतारी अभियान (हेल्पवेडनेसडे)प्रतिबुधवार को PHC/SHC में स्वास्थ्य परीक्षण हितग्राहियों को जीवनदीप समिति की ओर से अण्डा, केला, दूध का वितरण किया जाता है।

नवाजतन योजना

चयनित ग्राम पंचायतों में कुपोषित बच्चे (मध्यम गंभीर) को सामान्य ग्रेड मे लाने समुदाय के सहयोग से संचालित योजना। इस हेतु कुपोषण मित्र व स्व–सहायता समूह का चयन।

1. प्रत्येक कुपोषण मित्र को 10 बच्चे व स्व–सहायता समूह को 20–25 बच्चे गोद दिये जाते है।
2. 10–12 ग्राम पंचायतों पर एक कुपोषण बूथ का चयन।
3. 0–6 माह की अवधि पश्चात् ग्राम पंचायत के कुल लक्षित बच्चों में से 80 प्रतिशत सामान्य पदोन्नति हितग्राही एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 500/– की दवाइयों के क्रय पर व्यय करना है। तथा प्रति बाल स्वास्थ्य शिविर 1500 का प्रावधान है।
4. निजी संस्थानों से चिकित्सा परीक्षण पर 300/– निजी शिशु रोग विशेषज्ञ हेतु 1500.00 शिविर यात्रा देयक सहित मानदेय का प्रावधान।
5. जिले में इस योजना के तहत् स्वस्थ्य बच्चा जागरूक महतारी अभियान (हेल्पवेडनेसडे) प्रति बुधवार को PHC/SHC में स्वास्थ्य परीक्षण।
6. हिग्राहियों को जीवनद्वीप समिति की ओर से अण्डा, केला, दूध का वितरण किया जाता है। लगातार 3 माह सामान्य रहने पर ग्राम पंचायत को 1 लाख तक की राशि ''राज्य स्तरीय नवाजतन पुरूस्कार'' में प्रदाय की जाती है।

सुकन्या योजना

बलिकाओं के उज्जवल भविष्य तथा उनका आर्थिक आधार मजबूत करने के उद्देश्य से 10 वर्ष तक के बालिकाओं का डाक घर या बैंक में खाता खुलवाया जाता है।

1. खाता खुलवाने के लिए जन्म प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है।
2. संरक्षक द्वारा 1 बालिका के नाम से एक खाता तथा अधिकतम 2 खाते 2 बालिकाओं के नाम से खोल जा सकते है।
3. खाता कम से कम 1000रू. से खोला जा सकता है इसके पश्चात् 100 का गुणांक राशि में जमा किया जा सकेगा।
4. न्यून्तम जमा राशि 1000 प्रति वित्तीय वर्ष तथा अधिकतम 150000 रू. होगा।
5. 14 वर्ष तक राशि जमा किया जाता है।
6. 18 वर्ष होने पर 50 प्रतिशत तथ परिपक्वता अवधि 21 वर्ष होने पर पूरी राशि निकालना संभव है एवं खाता बंद किया जा सकता है।
7. वर्तमान में 8.6 प्रतिशत ब्याज देय तथा जमा राशि आयकर से मुक्त है।

आई सी पी एस योजना

आई सी पी एस योजना का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है, ताकि मुश्किल परिस्थितियों में भी उनका विकास और कल्याण अच्छी तरह से सुनिश्चित कया जा सके।

इसकी अवधारणा किशोर न्याय बालाकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000–2015 में दी गई है। इस अधिनियम के तहत् मुख्य बात निम्नानुसार हैः–

किशोर न्याय बोर्ड (JJB)

विधि अवरूद्ध किशोरो के प्रकरणों में न्याय निर्णय करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड का गठन प्रत्येक जिले में होना है। जिले में 30.09.2008 से किशोर न्याय बोर्ड संचालित है।

बालक कल्याण समिति (CWC)

देखरेख एवं आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरण में न्याय निर्णय, मागदर्शन तथा पुर्नवास के कार्य संचालन का कार्य समिति के द्वारा किया जाता है। जिले में 26.09. 2008 से बालक कल्याण समिति संचालित है।

सम्प्रेक्षण गृह

विधि के उल्लंघन करने वाले किशोरों को न्याय बोर्ड द्वारा जमानत एवं न्याय निर्णय पारित न किये जाने की स्थिति में बोर्ड के आदेश से अल्प अवधि के लिए सम्प्रेक्षण गृह में रखा जाएगा। जिले में शासकीय सम्प्रेक्षण गृह 30 नवम्बर 2016 से संचालित है।

बाल गृह

देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले 18 वर्ष तक आयु के बच्चों को निःशुल्क भोजन, आवास, शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं पुर्नवास सुविधा प्रदान करने के लिए बाल गृह की स्थापना की गई है। जिले में 50 सीटर एक बालिका गृह तथा एक बालक गृह संचालित है।

मुख्यमंत्री अमृत योजना

बाल योजना अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में उसे 6 वर्ष के बच्चों को सुगंधित मीठा दूध पिलाया जा रहा है। प्रत्येक बच्चे को न्यूनतम 100 मिलि लीटर सुंगंधित मीठा दूध सप्ताह में एक दिन (सोमवार) को दिया जाता है।

महतारी जतन योजना

आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं को 2.50 ग्राम प्रतिदिन गरम भोजन दिया जाता है।

कुपोषण चौपाल

ISSNIP (ICPS system strengthening & nutrition improvement project) अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रति माह तीसरे गुरूवार को आयोजन गर्भावस्था में देखभाल बाल देखरेख ऊपरी आहार, कुपोषण प्रबंधन आदि मुद्दों पर आधारित।

आंगनबाड़ी केन्द्रों में तीन गतिविधियों का आयोजन गोद भराई, अन्नप्रासन, बाल भोज (किन्ही दो गतिविधियों का आयोजन अनिवार्य है।)

महिला जागृति शिविर आयोजन

ग्रामीण व विशेष रूप से पिछड़े इलाकों में शासन की विभिन्न योजनाओं का प्रचार करने तथा महिलाओं को इन योजनाओं कार्यक्रमों से सीधा जोड़ने के लिए समय–समय पर थीम आधारित महिला जागृति शिविरों का आयोजन किया जाता है। शिविरों के प्रति महिलाओं का रूझान बढ़ाने के लिए विभाग गर्भवती महिलाओं का गोद भराई तथा छोटे बच्चों अन्न प्रन्नसन जैसे कार्यक्रम आयोजित करती है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम–2006 एवं बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानानुसार विवाह के लिये लड़के की न्युनतम आयु 21 वर्ष व लड़की की न्युनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य

में बाल विवाह प्रतिषेध नियमः– 2007, जनवरी 2008 से प्रभावशील है।

1. अधिनियम के प्रावधनानुसार विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं लड़की की नयूनतम आयु 18 वर्ष नियत की गई है।
2. 18 वर्ष अथवा दोनों में से किसी एक पक्ष की आयु निर्धारित नयूनतम आयु से कम है तो ऐसा विवाह रद्द किया जा सकता है। कोई भी 18 वर्ष से अधिक उम्र वाला व्यस्क पुरूष आवश्यक स्त्री से विवाह करता है तो उसे दो वर्ष का सक्षम कारावास या जुर्माना जो एक लाख रूपये तक हो सकता है अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
3. इतना ही नहीं अधिनियम की धारा–10 के तहत् बाल विवाह के कारक संचालनकर्ता एवं वामुशक्कत या एक लाख रूप्ये जुर्माना दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम की धारा–5 के तहत बालविवाह के परिणामरूप शिशु/शिशुओं का जन्म होता है तो वह वैध शिशु होगा।

निष्कर्ष एवं सुझाव

सशक्तिकरण का एक अहम पहलू सुरक्षा है। अगर महिलाएँ सुरक्षित महसूस करती है, तभी वे अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह से भागीदारी निभा पाने में सक्षम होगी। इसके लिए सरकार ने 31 राज्यों केन्द्र शीतल प्रदेशों में 181 महिला हेल्पलाइन केन्द्रों को मंजूरी दी है और 206 वन स्टॉप केन्द्र चल रहे हैं, जहां हिंसा की शिकार महिलाओं को तुरन्त और आसानी से मदद् मिल सकती है। महिलाओं के लिए पुलिस बल में 33 फीसदी आरक्षण का नियम भी लागू किया जा रहा है।

जैसा कि बताया जा चुका है सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं को लागू करती है। हालांकि ये योजनाएँ दूर–दराज या पिछड़े इलाकों में हमेशा लाभार्थियों तक नहीं पहुँचती है। इस समस्या को दूर करने के लिए और देश भर में वंचित महिलाओं तक पहुंचने के लिए मेरे मंत्रालय ने हाल में महिला शक्ति केन्द्र योजना शुरू की है इस योजना के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 3 लाख छात्र स्वयंसेवी सरकारी योजनाओं और सेवाओं के साथ ग्रामीण स्तर पर सीधा उन तक (महिलाओं) पहुँच रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

सुधा – विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण योजना, जुलाई

डॉ. महीपाल – महिलाएँ पंचायत और गरीबी उन्मूलन, कुरूक्षेत्र, सितम्बर

सिमरन कौर – महिला आरक्षण विधेयक, कुरूक्षेत्र, सितम्बर

धीरज चौधरी – महिला सरपंच, कुछ संभावनाएं, कुरूक्षेत्र सितम्बर

रमेश चन्द्र पारीक – महिला शिक्षा की स्थिति–दशा और दिशा, कुरूक्षेत्र सितम्बर

वियोगी (डॉ.) कुसुम (2001), दलित महिला कथाकारों की चर्चित कहानियां ललित प्रकाशन, दिल्ली

मेनन रितु (2005), कर्मठ महिलाएं, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया

कौशिक (प्रो.) आशा (2008), वैश्य (डॉ.) शकुन्तला (2008), महिला सशक्तिकरण

लता (डॉ.) मंजु (2009), अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न, अर्जुन पब्लिकेशिंग हाउस दिल्ली

नाटानी प्रकाशन नारायण (2010), महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकार, विनायक प्रकाशन, जयपुर